(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1090—एक / 2001 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—03—2001 के द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 116 / निगरानी / 2000—01.

....

1—देवकरण सिंह 2—दिगविजय सिंह
3—रामकिशोर सिंह 4—राजभान सिंह
5—हीरालाल सिंह पुत्रगण धनपत सिंह गौड़
6—रामहित सिंह तनय गंनपति सिंह गौड़
सभी निवासी ग्राम पोस्ता तहसील
रामपुर नैकिन जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

कामता प्रसाद तनय शंकर प्रसाद गुप्ता
निवासी ग्राम पोस्ता तहसील
रामपुर नैकिन जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

....

श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—03—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.1.83 को राजव निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन में गठित छानबीन समिति ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कियाकि ग्राम पोस्त की भूमि कमांक 4 रकवा 4.50 के भूमिस्वामी गिरधारी तनय बन्ऊ गौड थे। कच्ची बेची टीप रूपये 95/–एवं 100 के माध्यम से अपीलार्थी ने क्रय कर अपने नाम नामांतरण करा लिया है जो गैर आदिवासी जाति का है। संहिता की धारा 170 (ख) केअधीन प्रश्नाकिंत भूमि आदिवासी जाति के भूमिस्वामी को वापस दिलायी जाय। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पश्चात दिनांक 26.7.84 को प्रश्नांकित भूमि आदिवासी के पक्ष में बहाल की गई। इस आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी ने कलेक्टर न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कलेक्टर ने अपने पारित आदेशदिनांक 21.3.88 के माध्यम से अपील मान्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस पर से कार्यवाही करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.6.90 को आदेशित किया कि प्रश्नांकित भूमि संहिता लागू होने के पूर्व 2.10.59 के पूर्व क्रय करना एवं आधिपत्य में होना तथा नामांतरण वैध मान्य करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। इस आदेश से परिवेदित होकर आदिवासी जाति के देवकरण एवं 7 अन्य के द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 14/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 18.4.94 में आदेशित किया गया कि अपील आवेदन पत्र को मान्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.90 निरस्त किया जाकर आदेश पत्रिका दिनांक 3.11.89 के अनुक्रम में तथा इस न्यायालय के प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 21.3.88 के अनुसार दो माह में कार्यवाही पूर्ण की जाकर प्रकरण का निवर्तन तत्काल किये जाने हेतु रिमाण्ड किया । इससे दुखित होकर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा दिनांक 15.3.2001 के तहत अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक पक्ष आदिवासीगण हैं और अनावेदक पक्ष गैर आदिवासी है । प्रकरण वर्षो से जांच हेतु बार–बार प्रत्यावर्तित होता आ रहा है। बाद विन्दु

यह है कि क्या संहिता के लागू होने के पूर्व की कच्ची बेची टीप अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर हुये अन्तरण को वैधानिकता दी जानी चाहिये और क्या पंजीयन शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क के भुगतान के अभाव में ऐसे अन्तरण का अमान्य किया जावेगा। इस विषय में वैधानिक स्थिति स्पष्ट है ऐसे प्रतिपादित न्याय सिद्वांत है कि अन्तरण से संबंधित संव्यवहार हो जाने तथा कब्जा अन्तरण की कार्यवाही भी हो जाने पर ऐसा अन्तरण मान्य किया जावेगा। अन्य औपचारिकतायें जिनमें कि पंजीयन को कार्यवाही एवं उपयुक्त पंजीयन तथा मुदांक शुल्क के भुगतान के मुदद्े भी सम्मिलित है । ऐसे अन्तरण को अमान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकारण में स्पष्ट है कि कच्ची बेची टीप मौजूद है तथा वर्ष 56–57 से भू–अभिलेखों में अनावेदक/गैरआदिवासीगण का कब्जा भी दर्ज हे । ऐसी स्थिति में प्रश्नधीन अन्तरण दिनांक 2.10.59 के पूर्व का मानने में आयुक्त रीवा द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 116/निगरानी/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 15.3.2001 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर